न्यायालय : अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, लालसोट, जिला दौसा

पीठासीन न्यायाधीश : श्रीमती रीतु चौधरी (RJ00749), आरजेएस

दाण्डिक विविध (जमानत) प्रार्थनापत्र संख्या– 62/2026

1. दुर्गालाल पुत्र बद्रीलाल उम्र 23 साल निवासी टांटेटी थाना सराना जिला अजमेर ।

2. भागचन्द उर्फ लेफ्टी पुत्र लादूराम उम्र 28 साल निवासी कनेछन कलां थाना फुलिया कलां जिला भीलवाडा ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक।

दांडिक विविध (जमानत) आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 बीएनएसएस

प्रकरण का विवरण	
प्रथम सूचना रिपोर्ट	174/2025
पुलिस थाना	रामगढ पचवारा
अपराध अंतर्गत धारा	धारा 331 (4), 305(ए) बीएनएस

अभिरक्षा एवं प्रक्रिया संबंधी अनुपालन	
गिरफ्तारी की तिथि	07–02–2026
अब तक व्यतीत कुल अभिरक्षा अवधि	07–02–2026 से लगातार

आपराधिक रिकोर्ड दुर्गालाल				
क्रम सं०	मुकदमा नं०	दिनांक	धारा	थाना
1	145/25	–	3 (5), 305 (ए), 317(2), 317 (5), 331(3) बीएनएस	सरदारपुरा जिला जोधपुर
2	331/23	–	454, 380, 511 भादस	सेजत सिटी जिला पाली
3	400/22	26–10–2022	380, 454 भादस	सेक्टर 56 गुरूग्राम हरियाणा

4	419/21	17–12–2021	380, 454 भादस	सेक्टर 56 गुरूग्राम हरियाणा
5	248/22	02–08–2021	380, 454 भादस	सेक्टर 40 गुरूग्राम हरियाणा
6	459/20	08–11–2020	380, 454 भादस	सेक्टर 40 गुरूग्राम हरियाणा
7	145/22	28–03–2022	380, 454, 411, 34 भादस	सफदरगंज एन्कलेव दक्षिण दिल्ली
8	250/20	02–08–2020	380, 454, 511, 34 भादस	सेक्टर 14 गुडगांव
9	60/20	13–02–2020	380, 454 भादस	सेक्टर नं० 4 गुरूग्राम
10	599/19	05–12–2019	380, 454 भादस	सेक्टर नं० 3 गुरूग्राम

आपराधिक रिकोर्ड भागचन्द उर्फ लेफ्टी				
क्रम सं०	मुकदमा नं०	दिनांक	धारा	थाना
1	190/14	13–11–2014	376 भादस, 3/4 पोक्सो एक्ट	फुलियाकला जिला भीलवाडा
2	111/18	07–07–2018	323, 341, 354 भादस	फुलियाकला जिला भीलवाडा
3	226/19	28–05–2019	457, 380 भादस	क्रिश्चयनगज जिला अजमेर
4	448/21	28–05–2019	457, 380, 411 भादस	केकडी सिटी जिला अजमेर
5	23/21	12–01–2021	457, 380 भादस	केकडी सिटी जिला अजमेर
6	391/21	15–01–2021	457, 380 भादस	मुहाना जिला जयपुर शहर दक्षिण
7	23/22	–	457, 380 भादस	करणी विहार जिला जयपुर पश्चिम
8	695/22	02–11–2022	457, 380, 411 भादस	जवाहर सर्किल जयपुर सिटी पूर्व

पूर्व जमानत आवेदन	
न्यायालय	निल
प्रकरण सं०	निल
परिणाम	निल

दण्डात्मक/बलपूर्वक कार्यवाही	
क्या कोई गैर/जमानती वारंट जारी किया गया है?	निल
क्या अभियुक्त को उदघोषित अपराधी घोषित किया गया है?	निल

उपस्थितः–

1– श्री द्वारका प्रसाद मीना, श्री इश्तियाक मोहम्मद– विद्वान अधिवक्तागण– प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से।
2– श्री अशोक कुमार शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक – सरकार की ओर से।

–आदेश– **दिनांकः 06–05–2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण दुर्गालाल एवं भागचन्द उर्फ लेफ्टी की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–483 बीएनएसएस जरिये अधिवक्ता पेश हुआ, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। मुलजिमान की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 480 बीएनएसएस दिनांक 16–04–2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालसोट, दौसा द्वारा खारिज किया गया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी हनुमान सिंह पुत्र भीमसिंह उम्र 75 साल निवासी अभयपुरा थाना रामगढ पचवारा जिला ने दिनांक 19.12.25 को उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश कि की में हनुमानसिह पुत्र भीमसिह ग्राम अभयपुरा लम्बरदार मौहल्ले का निवासी हूं दिनांक 18/19–12–2025 की देर रात्रि को घर में अज्ञात व्यक्तियो द्वारा सोने चांदी के आभूषण जिनमें एक जोडी पूंछ एक जोडी बंगडी तीन सोने के देवताओ के फूल तीन जोडी चांदी की पाईजेब दो सोने की अंगूठी सोने सात चांदी के सिक्के इसके अलावा दो सूटकेस जिसमें रजिस्ट्री स्टाम्प पेपर सहित अन्य दस्तावेज और 10 हजार रूपये नकद चोरी हुये है। इसके

अलावा घर में अज्ञात लोगो द्वारा घर में तालाबंदी और अन्य प्रकार की असामाजिक गतिविधियां हुई है जो अपराध की श्रेणी में आते है इसके अलावा गांव के अन्य घरो में चोरी की वारदातें हुई है।..... इत्यादि पर प्रथम सूचना संख्या 174/2025 थाना रामगढ पचवारा में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 331 (4), 305(ए) बीएनएस का आरोप प्रमाणित मानकर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण के यह तर्क रहे हैं कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण 07–02–2026 से न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा में चल रहे है। प्रार्थी/अभियुक्तगण परिवार में अकेले कमाने वाले व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। प्रार्थी/अभियुक्तगण राजस्थान राज्य के मूल निवासी है जिनके मफरूर होने का अंदेशा नहीं है । अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र जमानत स्वीकार कर प्रार्थी को जमानत पर रिहा फरमाये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध जमानत आवेदन खारिज किये जाने का आग्रह किया गया।

5. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना रामगढ पचवारा में दर्ज गई जिस पर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण पर धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस का आरोप प्रमाणित पाये गये है। इसके संबंध में प्रार्थी/अभियुक्तगण को दिनांक 07–02–2026 को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उक्त प्रकरण में अन्य सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। परंतु प्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अपराधों की निरन्तर पुनरावृति की जा रही है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण पूर्व में अधिक अपराधों में संलिप्त रहे है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूंठा संलिप्त किया जा रहा हो, ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं आया है। ऐसी दशा में प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थी अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं समझती हूं।

–आदेश–

6. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण 1. दुर्गालाल पुत्र बद्रीलाल उम्र 23 साल निवासी टांटेटी थाना सराना जिला अजमेर 2. भागचन्द उर्फ लेफ्टी पुत्र लादूराम उम्र 28 साल निवासी कनेछन कलां थाना फुलिया कलां जिला भीलवाडा की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(रीतु चौधरी)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
लालसोट, जिला दौसा

7. आदेश आज दिनांक 06–05–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीतु चौधरी)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
लालसोट, जिला दौसा